



बिहार विधान परिषद्

संख्या-18

कार्य सूची

212वां सत्र

बृहस्पतिवार, दिनांक 26 फरवरी, 2026

12.00 बजे मध्याह्न

प्रश्नोत्तर

1. अल्पसूचित प्रश्न
2. तारांकित प्रश्न

औपचारिक कार्य

3. सचिव, विधेयक संबंधी संदेश, यदि कोई हो, पढ़ेंगे।
4. सचिव, विधान सभा से स्वीकृत विधेयक, यदि कोई हो, मेज पर रखेंगे।
5. प्रो० गुलाम गौस, अध्यक्ष, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति द्वारा समिति का 215वां प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखा जाना एवं सदन की स्वीकृति प्राप्त किया जाना

परिनियत कार्य

6. प्रभारी मंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 का प्रतिवेदन “निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक” “अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल” एवं मार्च, 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए “निष्पादन एवं लेखापरीक्षा-सिविल” एवं 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष 2024-25 के प्रतिवेदन “वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)” तथा “विनियोग लेखे” एवं

जिला परिवहन कार्यालयों की कार्य पद्धति पर 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए "निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल" प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।

7. प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।

ध्यानाकर्षण


8. श्री अशोक कुमार, नवादा जिला की पाँच नदियों यथा- खूरी, सकरी, धनार्जय, तिलैया एवं ढाढर नदियों को अतिक्रमणमुक्त कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (जल संसाधन विभाग)
9. श्रीमती निवेदिता सिंह, रोहतास जिलान्तर्गत दुर्गावती नहर पर फॉल का निर्माण कर विश्रामपुर वैतरणी नहर को सक्रिय कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगी। (जल संसाधन / लघु जल संसाधन विभाग)
10. श्री कार्तिक कुमार एवं अन्य 03 (तीन) माननीय सदस्यगण, पटना जिलान्तर्गत रामजानकी मंदिर, दानापुर के पास एक पुलिस पिकेट की स्थापना कर जाम की समस्या से निजात दिलाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (गृह विभाग)
11. श्री भीसम साहनी, पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत बगहा में स्थायी बस स्टैंड का निर्माण कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (परिवहन विभाग)
12. मो० खालीद अनवर एवं श्री भीसम साहनी, शराब तस्करी में जब्त चोरी की गाड़ियों को वास्तविक वाहन मालिकों को निःशुल्क विमुक्त कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (मद्य निषेध विभाग)
13. श्री अनिल कुमार एवं अन्य 02 (दो) माननीय सदस्यगण, राज्य में फार्मेसी कॉलेज खोलने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा अविलंब एन०ओ०सी० देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (स्वास्थ्य विभाग)
14. श्री नवल किशोर यादव, बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, पटना के निलंबित कुलसचिव डॉ० संजय कुमार को निलंबन एवं सभी अनुशासनिक कार्रवाई से मुक्त किये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग)

ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य

15. डॉ० अजय कुमार सिंह के, सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल प्रखंड में नकटा ग्राम के वार्ड संख्या-6 तक निर्मित सुरक्षा बांधों को वार्ड संख्या-7-सोनवर्षा टोला-महपतिया पंचायत से झरबा तक विस्तार से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य (जल संसाधन विभाग)

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)

16. गैर सरकारी संकल्प
(संकल्प की प्रति अलग से परिचारित की गयी है)
17. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य, यदि कोई हो।



25/2/26

(अखिलेश कुमार झा)
सचिव
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक-वि.प.वि.-05/2026 – 229 (3) / वि.प.।

दिनांक – 25.02.2026

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार / माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, बिहार / माननीय मंत्रीगण / माननीय मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय / मुख्यमंत्री सचिवालय (चार प्रतियों में) / माननीय राज्यपाल, बिहार के सचिव / माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आवासीय कार्यालय एवं बिहार विधान सभा स्थित कार्यालय वेशम / प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना / लोकायुक्त, बिहार / महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय / बिहार सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी राज्यों के विधान मंडलों के सचिव / लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली / पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली / बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार / अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना / समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना / उप सचिव, नेवा सेल / जन-सम्पर्क पदाधिकारी एवं प्रभारी, नेवा सेल, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


25/02/26

(ज्ञान प्रकाश)
निदेशक
बिहार विधान परिषद्



فہرست امور

بہار قانون ساز کاؤنسل

۲۱۲ واں اجلاس

شمارہ-۱۸

جمعرات، مورخہ ۲۶ فروری، ۲۰۲۶

۱۲ بجے دن

سوال و جواب

۱. مختصر میعادى سوال

۲. علامتى سوال

رسمى امور

۳. سکریٹری، بل سے متعلق پیغام، اگر کوئی ہو، پڑھیں گے۔

۴. سکریٹری، قانون ساز اسمبلی سے منظور بل، اگر کوئی ہو، میز پر رکھیں گے۔

۵. پروفیسر غلام غوث، چیرمین، غیر سرکاری اراکین کے بل وریزولوشن سے متعلق کمیٹی کے ذریعہ کمیٹی کی ۲۱۵ ویں رپورٹ کی

کاپی ایوان کی میز پر رکھا جانا اور ایوان کی منظوری حاصل کیا جانا

ضابطے کے تحت کارروائی

۶. انچارج وزیر، ہندوستان کے کمپیٹر و لرا اینڈ آڈیٹرز جنرل سے حاصل حکومت بہار کا مارچ، ۲۰۲۳ کو ختم ہوئے سال ۲۳-

۲۰۲۲ کی رپورٹ 'نبتار او عمل درآ مد آ ڈٹ - سول و کامر شیل'، عمل درآ مد آ ڈٹ سول اور مارچ، ۲۰۲۳ کو ختم ہوئی مدت کے

لیے 'نبتار او آ ڈٹ - سول' اور ۳۱ مارچ، ۲۰۲۵ کو ختم ہوئے سال ۲۵-۲۰۲۳ کی رپورٹ 'مالی بجٹ (حصہ-۱ اور ۲)' اور

تصرف بل اور ضلع ٹرانسپورٹ دفتر کی طریقہ کار پر ۳۱ مارچ، ۲۰۲۲ کو ختم ہوئی مدت کے لیے نمبر آڈٹ-سول رپورٹ کی ایک ایک کاپی ایوان کی میز پر رکھیں گے۔

۷. انچارج وزیر، محکمہ ماحولیات، جنگلات و تبدیلی آب و ہوا کے تحت بہار اسٹیٹ بائیو ڈائیورسٹی بورڈ کے مالی سال ۲۰۲۵ کی سالانہ رپورٹ کی کاپی ایوان کی میز پر رکھیں گے۔

توجہ طلب اطلاع

۸. جناب اشوک کمار، نوادہ ضلع کی پانچ ندیوں یعنی کھوری، سکری، دھنار جے، تیلیا اور ڈھاڈھر ندیوں کو ناجائز قبضہ سے آزاد کرانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ آبی وسائل)

۹. محترمہ نویدیتا سنگھ، روہتاس ضلع کے تحت درگاوتی نہر پر فال کی تعمیر کر کے ریٹ ہاؤس ویترنی نہر کو فعال بنانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گی۔ (محکمہ آبی وسائل رچھوٹی آبپاشی)

۱۰. جناب کارتک کمار و دیگر ۳ (تین) معزز اراکین، پٹنہ ضلع کے تحت رام جانگی مندر، دانا پور کے پاس ایک پولس پیکٹ کا قیام کر کے جام کے مسئلے سے نجات دلانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ داخلہ)

۱۱. جناب بھیسیم ساہنی، مغربی چمپارن ضلع کے تحت بگہا میں مقامی بس اسٹینڈ کی تعمیر کرانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ ٹرانسپورٹ)

۱۲. جناب محمد خالد انور و جناب بھیسیم ساہنی، شراب اسمگلنگ میں ضبط چوری کی گاڑیوں کو حقیقی گاڑی مالکوں کو بغیر فیس کے آزاد کرانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ نشہ بندی)

۱۳. جناب ایل کمار و دیگر ۲ (دو) معزز اراکین، ریاست میں فارمیسی کالج کھولنے کے لیے محکمہ صحت کے ذریعہ فوری این او سی دینے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ صحت)

۱۴. جناب نول کشوریا دو، بہار و بیٹری یونیورسٹی پٹنہ کے معطل رجسٹرار ڈاکٹر سنجے کمار کو معطلی و سبھی تادیبی کارروائیوں سے آزاد کئے جانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ ڈیری، ماہی پروری و مویشی پروری)

توجہ طلب اطلاع پر حکومت کا بیان

۱۵. ڈاکٹر اچے کمار سنگھ کی، سپول ضلع کے تحت سپول بلاک میں نکلگرام کے وارڈ نمبر-۶ تک تعمیر حفاظتی پشتوں کو وارڈ نمبر-۷ سونورسا ٹولہ مہیا پنچایت سے جھربا تک توسیع سے متعلق توجہ طلب اطلاع پر حکومت کا بیان (محکمہ آب وسائل)

غیر سرکاری اراکین کے امور (غیر سرکاری ریزولوشن)

۱۶. غیر سرکاری ریزولوشن

(ریزولوشن کی کاپی الگ سے مشتہر کی گئی ہے)

۱۔ دیگر انتہائی ضروری امر، اگر کوئی ہو۔

25/2/26
(اھلیش کمار جھا)

سکرٹری

بھارت قانون ساز کاؤنسل

25.02.2026

مکتوب نمبر - (3)-229-05/2026

ترجمہ کردہ : اردو شعبہ، بھارت قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ

افینا
25/2/26
(اویناش امن)

سیکشن افسر

اردو شعبہ، بھارت قانون ساز کاؤنسل



बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

212वां सत्र

नवादा जिला में स्थित पाँच नदियाँ खूरी, सकरी, धनार्जय, तिलैया और ढाढ़र नदी, जिसे नवादा की जीवनरेखा के नाम से जाना जाता है। इन सभी नदियों का अतिक्रमण एवं कचरे के डंपिंग से नदी का अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहा है। नदियों के अतिक्रमण होने से सिंचाई का संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे 20 फीसदी फसल उत्पादन में गिरावट आयी है। साथ ही साथ इसका सीधा असर पर्यावरण पर भी पड़ रहा है।

अतः नवादा जिला के उक्त सभी पाँच नदियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-
अशोक कुमार
स०वि०प०


ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.- 135/2026-515(1)वि०प०।

दिनांक:-23.02.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ जल संसाधन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-26.02.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।


23.02.2026

(मनोज कुमार)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्



بہار قانون ساز کاؤنسل

توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

نوادہ ضلع میں واقع پانچ ندیاں — کھوری، سکری، دھنار جے، تلیہ اور ڈھاڈھر ندی، جسے نوادہ کی لائف لائن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان سبھی ندیوں پر تجاویزات اور کچرے کی ڈمپنگ کی وجہ سے ندیوں کا وجود آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ندیوں پر تجاویزات ہونے سے آبپاشی کا بحران پیدا ہو گیا ہے، جس سے 20 فیصدی فصل کی پیداوار میں کمی آئی ہے۔ ساتھ ہی اس کا براہ راست اثر ماحولیات پر بھی پڑ رہا ہے۔ لہذا، نوادہ ضلع کی مذکورہ سبھی پانچ ندیوں کو تجاویزات سے آزاد کرانے کے لیے حکومت سے ایوان میں ایک واضح کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

اشوک کمار

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 23.02.2026

مکتوب نمبر: (1) 135/2026-515

معزز رکن، مورخہ 26.02.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔


23.02.2026

(منوج کمار)

ڈپٹی سیکریٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ



बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

212वां सत्र

रोहतास जिला अंतर्गत दुर्गावती नहर के आर.डी. संख्या 620 पर फाल का निर्माण नहीं होने से विश्रामपुर वैतरणी नहर निष्क्रिय हो गई है। इसके कारण विश्रामपुर, खडीहा, सिंकुही तथा मोहम्मदपुर क्षेत्र के लगभग दो हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि की सिंचाई व्यवस्था बाधित हो चुकी है, जिससे किसानों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इस संबंध में पूर्व में जिला रोहतास प्रशासन एवं दुर्गावती जलाशय के इंजीनियरिंग विभाग को सूचित किया गया तथा स्थल निरीक्षण भी कराया गया, किंतु अब तक फाल निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है।

अतः उक्त फाल का निर्माण अब तक क्यों नहीं कराया गया है तथा प्रभावित क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था बहाल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, इस संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूँ।

ह०/-
निवेदिता सिंह
स०वि०प०


ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.- 145/2026-516(1)वि०प०।

दिनांक:-23.02.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ जल संसाधन विभाग, बिहार/ लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-26.02.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।


23.02.2026
(मनोज कुमार)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्



توجہ طلب اطلاع

بہار قانون ساز کاؤنسل

عزت مآب چیرمین،

روہتاس ضلع کے تحت درگاوتی نہر کے آر۔ ڈی۔ نمبر 620 پر فال کی تعمیر نہ ہونے کے سبب وشرامپور ویترنی نہر بیکار ہو گئی ہے۔ اس کے سبب وشرامپور، کھڈیہا، سنکوہی اور محمد پور علاقہ کی تقریباً دو ہزار ایکڑ قابل کاشت زمین کی آبپاشی کا نظم متاثر ہو چکا ہے، جس سے کسانوں کی روزی روٹی پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔

اس سلسلے میں قبل میں ضلع روہتاس انتظامیہ اور درگاوتی تالاب کے انجینئرنگ محکمہ کو مطلع کیا گیا اور جائے وقوعہ کا معائنہ بھی کرایا گیا، مگر اب تک فال کی تعمیر کا کام شروع نہیں ہو سکا ہے۔

لہذا، مذکورہ فال کی تعمیر اب تک کیوں نہیں کرائی گئی ہے اور متاثرہ علاقہ کی آبپاشی کا نظم بحال کرنے کے لیے حکومت کے ذریعہ کیا کارروائی کی جائے گی، اس سلسلے میں حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتی ہوں۔

دستخط

نوید تاسگھ

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 23.02.2026

مکتوب نمبر: (1) 145/2026-516

معزز رکن، مورخہ 26.02.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ منبذول کریں گی۔

23.02.2026
(منوج کمار)

ڈپٹی سیکریٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ



बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

212वां सत्र

पटना जिलान्तर्गत दानापुर अनुमंडल के दानापुर बस स्टैण्ड से नासरीगंज से बाटा तक नो-इंट्री के समय ईट, बालू, धूरी, सीमेंट, मिट्टी लदा ट्रक एवं ट्रैक्टर प्रशासन की मिली भगत से आदेश की अवहेलना कर चलता रहता है। साथ ही नो इंट्री में वाहन चलने के कारण दानापुर रामजानकी मंदिर के पास भयंकर जाम की स्थिति बनी रहती है। एम्बुलेंस बराबर फंसी रहती है। जिससे कई लोगों की जान चली गई है। कार्यालय आने-जाने एवं स्कूली बच्चों को भी घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः सार्वजनिक हित में रामजानकी मंदिर दानापुर के पास एक पुलिस पिकेट की स्थापना के साथ ही नो-इंट्री से निजात पाने के लिए सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/- कार्तिक कुमार स०वि०प०

ह०/- डॉ० समीर कुमार सिंह, स०वि०प०

ह०/- लाल मोहन गुप्ता, स०वि०प०

ह०/- घनश्याम ठाकुर, स०वि०प०


ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.- 120/2026-514(1)वि०प०।

दिनांक:-23.02.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-26.02.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।


23.02.2026

(मनोज कुमार)

उप सचिव

बिहार विधान परिषद्



توجہ طلب اطلاع

بہار قانون ساز کاؤنسل

عزت مآب چیئر مین،

پٹنہ ضلع کے تحت دانا پور سب ڈویژن کے دانا پور بس اسٹینڈ سے ناصری گنج سے باٹا تک نو انٹری کے وقت اینٹ، بالو، دھوری، سیمنٹ، مٹی لدا ٹرک اور ٹریکٹر انتظامیہ کی ساز باز سے حکم کی خلاف ورزی کر چلتی رہتی ہے۔ ساتھ ہی نو انٹری میں گاڑیوں کے چلنے کی وجہ سے دانا پور رام جاگنی مندر کے پاس شدید جام کی صورت حال بنی رہتی ہے۔ ایسولینس برابر پھنسی رہتی ہے، جس سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ آفس آنے جانے والے لوگ اور اسکولی بچوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا، عوامی مفاد میں رام جاگنی مندر دانا پور کے پاس ایک پولیس پکٹ کے قیام کے ساتھ ہی نو انٹری سے نجات پانے کے لیے حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔


دستخط

کارتک کمار، ڈاکٹر سمیر کمار سنگھ، لال موہن گپتا، گھنیشام ٹھاکر
اراکین، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 23.02.2026

مکتوب نمبر: 120/2026-514(1)

معزز اراکین، مورخہ 26.02.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔


23.02.2026
(منوج کمار)

ڈپٹی سیکریٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ



बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

212वां सत्र

पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत बगहा में अब तक स्थायी बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो सका है। बस स्टैंड के अभाव में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ही बसों का ठहराव किया जाता है, जिससे आमजन एवं यात्रियों को निरंतर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है एवं सड़क किनारे बस में चढ़ने-उतरने के क्रम में यात्री निरंतर सड़क दुर्घटना में घायल हो रहे हैं जो अत्यंत चिंताजनक है। स्पष्ट है कि बस स्टैंड की अनुपस्थिति से यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित हो रही है तथा जन-सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अतः जनहित में इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-
भीसम साहनी
स०वि०प०


ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.- 146/2026-517(1)वि०प०।

दिनांक:-23.02.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ परिवहन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-26.02.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।


23.02.2026
(मनोज कुमार)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्



توجہ طلب اطلاع

بہار قانون ساز کاؤنسل

عزت مآب چیرمین،

مغربی چمپارن ضلع کے تحت بگہا میں اب تک مستقل بس اسٹینڈ کی تعمیر نہیں ہو سکی ہے۔ بس اسٹینڈ نہ ہونے کے سبب قومی شاہراہ کے کنارے ہی بسوں کا ٹھہراؤ کیا جاتا ہے، جس کے سبب عام لوگوں اور مسافروں کو مسلسل پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سڑک کے کنارے بس میں چڑھنے و اترنے کے دوران مسافر مسلسل سڑک حادثہ میں زخمی ہو رہے ہیں جو نہایت تشویش ناک ہے۔ واضح ہے کہ بس اسٹینڈ کی عدم موجودگی کے سبب ٹریفک نظام درہم برہم ہو رہا ہے اور عوامی تحفظ پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔
لہذا، عوامی مفاد میں اس اہم موضوع پر حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

بھیسم ساہنی

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 23.02.2026

مکتوب نمبر: (1) 146/2026-517

معزز رکن، مورخہ 26.02.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

23.02.2026 (منوج کمار)

ڈپٹی سکریٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ



बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

212वां सत्र

राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ नागरिकों के वाहन चोरी हो जाते हैं और उनकी विधिवत FIR भी दर्ज होती है। बाद में यदि वे वाहन मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा शराब तस्करी में लिप्त पाए जाते हैं, तो विभाग द्वारा वास्तविक मालिकों को राहत देने के बजाय उनसे गाड़ी की IDV वैल्यू का 10% जमा करने की मांग की जाती है। एक पीड़ित व्यक्ति, जिनकी गाड़ी संख्या BR O1JN 7672 अगमकुआं थाना, जिला पटना में दिनांक 11.10.2025 को चोरी हुई, जिसकी प्राथमिकी दिनांक - 11.10.2025 को अगमकुआं थाना कांड संख्या 757/25 दर्ज की गयी है। माह दिसम्बर 2025 को उत्पाद थाना, पटना के द्वारा शराब तस्करी के आरोप में इस गाड़ी के जब्त होने की सूचना वाहन मालिक को दी गयी, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने गाड़ी चोरी होने से संबंधित सभी साक्ष्यों के साथ थानाध्यक्ष, उत्पाद थाना, पटना को गाड़ी छोड़ने हेतु आवेदन समर्पित किया। तत्पश्चात् थानाध्यक्ष द्वारा उनसे गाड़ी की IDV वैल्यू का 10% जमा कर गाड़ी विमुक्त करने की बात कही गयी है, जबकि पीड़ित व्यक्ति स्वयं इस घटना से प्रभावित है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

अतः मैं ऐसे मामलों में गाड़ियों को FIR और पुलिस सत्यापन के आधार पर बिना किसी शुल्क के वाहन विमुक्त करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/- मो० खालीद अनवर, स०वि०प०

ह०/- भीसम साहनी, स०वि०प०


ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.- 147/2026-518(1)वि०प०।

दिनांक:-23.02.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-26.02.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।



(मनोज कुमार)

उप सचिव

बिहार विधान परिषद्



توجہ طلب اطلاع

بہار قانون ساز کاؤنسل

عزت مآب چیرمین،

ریاست میں بڑی تعداد میں ایسے معاملے سامنے آرہے ہیں، جہاں شہریوں کی گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں اور ان کی باقاعدہ ایف۔ آئی۔ آر بھی درج ہوتی ہے۔ بعد میں اگر وہ گاڑی محکمہ شراب بندی، ایکسائز اور رجسٹریشن کے ذریعہ شراب اسمگلنگ میں ملوث پائی جاتی ہیں تو محکمہ کے ذریعہ حقیقی مالکان کو راحت دینے کی بجائے ان سے گاڑی کی آئی۔ ڈی۔ وی (IDV) ویلیو کا 10 فیصد جمع کرنے کی مانگ کی جاتی ہے۔ ایک متاثرہ شخص، جن کی گاڑی کا نمبر IBR01JN7672 اگم کنواں تھانہ، ضلع پٹنہ میں مورخہ 11.10.2025 کو چوری ہوئی، جس کی ابتدائی رپورٹ مورخہ 11.10.2025 کو اگم کنواں تھانہ کا نمبر 757/25 درج کی گئی ہے۔ ماہ دسمبر 2025 کو ایکسائز تھانہ، پٹنہ کے ذریعہ شراب اسمگلنگ کے الزام میں اس گاڑی کے ضبط ہونے کی اطلاع گاڑی مالک کو دی گئی، جس کے بعد متاثرہ شخص نے گاڑی کی چوری ہونے سے متعلق سبھی ثبوت کے ساتھ تھانہ انچارج، ایکسائز تھانہ، پٹنہ کو گاڑی چھوڑنے کے لیے درخواست پیش کیا۔ بعد ازیں تھانہ انچارج کے ذریعہ ان سے گاڑی کی آئی۔ ڈی۔ وی ویلیو کا 10 فیصد جمع کر کے گاڑی چھوڑنے کی بات کہی گئی ہے، جب کہ متاثرہ شخص خود اس واقعہ سے پریشان ہے۔ یہ فطری انصاف کے اصولوں کے برعکس ہے۔

لہذا، ہم ایسے معاملوں میں گاڑیوں کو ایف۔ آئی۔ آر اور پولس تصدیق کی بنیاد پر بغیر کسی فیس کے گاڑی چھوڑنے کے لیے حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتے ہیں۔

دستخط

محمد خالد انور، بھیسیم ساہنی
اراکین، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 23.02.2026

مکتوب نمبر: (1) 147/2026-518

معزز اراکین، مورخہ 26.02.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجیہ مبذول کریں گے۔

(منوج کمار)
23.02.2026

ڈپٹی سیکریٹری
بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ



बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

212वां सत्र

योग्य फार्मासिस्टों की संख्या बढ़ाने हेतु राज्य में अधिक संख्या में फॉर्मेसी कॉलेज खोलना आवश्यक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए लगभग 120 संस्थानों द्वारा एन.ओ.सी. हेतु स्वास्थ्य विभाग के समक्ष वर्षों से दिया गया आवेदन लंबित है। एन.ओ.सी. के अभाव में डी. फॉर्मा एवं बी. फॉर्मा के लगभग 22000 छात्रों की शिक्षा राज्य में बाधित हो रही है। इसके आभाव में छात्रों को बाध्य होकर अन्य राज्यों में जाना पड़ रहा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय निर्णय भी स्वास्थ्य विभाग में अप्रभावी हो गए हैं। राज्य सरकार से एन.ओ.सी. मिलने की प्रत्याशा में कई संस्थानों द्वारा फॉर्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में कोर्स एवं मान्यता हेतु लाखों की राशि जमा की गई है परन्तु एन.ओ.सी. नहीं मिलने के कारण संस्थानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।

अतः फार्मेसी कॉलेज खोलने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिना विलंब के एन.ओ.सी. देने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/- अनिल कुमार, स०वि०प०

ह०/- प्रो०(डॉ०) वीरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०प०

ह०/- तरुण कुमार, स०वि०प०


ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.- 152/2026-528(1)वि०प०।

दिनांक:-23.02.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-26.02.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।


23.02.2026
(मनोज कुमार)

उप सचिव
बिहार विधान परिषद्



توجہ طلب اطلاع

بہار قانون ساز کاؤنسل

عزت مآب چیرمین،

اہل فارماسسٹوں کی تعداد بڑھانے کے لیے ریاست میں زیادہ تعداد میں فارمیسی کالج کھولنا ضروری ہے۔ فارمیسی کونسل آف انڈیا کے ذریعہ متعینہ پیمانوں کو پورا کرتے ہوئے تقریباً 120 اداروں کے ذریعہ این۔ او۔ سی کے لیے محکمہ صحت کے سامنے برسوں سے دی گئی درخواست زیر التوا ہیں۔ این۔ او۔ سی نہ ہونے سے ڈی۔ فارما اور بی۔ فارما کے تقریباً 22000 طلباء کی تعلیم ریاست میں متاثر ہو رہی ہے۔ اس کمی کی وجہ سے طلباء کو مجبور ہو کر دیگر ریاستوں میں جانا پڑ رہا ہے۔ آنریبل ہائی کورٹ کے ذریعہ دئے گئے عدالتی حکم بھی محکمہ صحت میں غیر موثر ہو گئے ہیں۔ ریاستی حکومت سے این۔ او۔ سی ملنے کی امید میں کئی اداروں نے فارمیسی کونسل آف انڈیا میں کورس اور منظوری کے لیے لاکھوں کی رقم جمع کی ہے، مگر این۔ او۔ سی نہ ملنے کے سبب اداروں کو مالی نقصان ہو رہا ہے۔

لہذا، فارمیسی کالج کھولنے کے لیے محکمہ صحت کے ذریعہ بغیر تاخیر کے این۔ او۔ سی دینے کے سلسلے میں حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتے ہیں۔

دستخط

اٹل کمار، پروفیسر (ڈاکٹر) ڈیرینڈر نارائن یادو، ترون کمار
اراکین، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 23.02.2026

مکتوب نمبر: (1) 152/2026-528

معزز اراکین، مورخہ 26.02.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔
23.02.2026 (منوج کمار)

ڈپٹی سکریٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ



बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

212वां सत्र

बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, पटना के वर्तमान कुलपति द्वारा कुलसचिव डॉ० संजीव कुमार व अन्य के विरुद्ध मनमानी तरीके से बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन लिए निलंबन एवं अनुशासनिक कार्रवाई की गई है, उक्त विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, जिनकी अनेक वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता, शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति में अनियमितता में संलिप्तता रही है, उन्हें बचाने व सभी साक्ष्य छुपाने के नियत से वर्तमान कुलपति द्वारा कुलसचिव व अन्य को निलंबित या स्थानांतरित किया गया है, उपरोक्त के आलोक में निलंबित कुलसचिव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.15501/2025, दिनांक- 18.09.2025 में पारित आदेश में उल्लेखित है कि डॉ० संजीव कुमार का निलंबन व अग्रिम अनुशासनिक प्रक्रिया विभागीय नियमावली तथा विश्वविद्यालय के अधिनियम-परिनियम के अनुकूल नहीं है।

अतः निलंबित कुलसचिव डा० संजीव कुमार को निलंबन व सभी अनुशासनिक कार्रवाई से मुक्त करते हुए उन्हें यथाशीघ्र कार्यभार सौंपने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-

नवल किशोर यादव

स०वि०प०

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.- 158/2026-538(1)वि०प०।

दिनांक:-24.02.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-26.02.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

24.02.2026

(मनोज कुमार)

उप सचिव

बिहार विधान परिषद्



بہار قانون ساز کاؤنسل

توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

بہار ویٹری یونیورسٹی، پٹنہ کے موجودہ وائس چانسلر کے ذریعہ رجسٹرار ڈاکٹر سنجیو کمار ودیگر کے خلاف من مانے طریقے سے بغیر کمپیوٹ اتھارٹی کی منظوری لیے معطلی اور تادیبی کارروائی کی گئی ہے، مذکورہ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر، جن پر متعدد مالی و انتظامی بے ضابطگیوں، تدریسی و غیر تدریسی ملازمین کی تقرری میں بے ضابطگیوں میں ملوث ہونے کے الزامات رہے ہیں، انہیں بچانے اور تمام شواہد کو چھپانے کی نیت سے موجودہ وائس چانسلر کے ذریعہ رجسٹرار ودیگر کو معطل یا تبادلہ کیا گیا ہے، مذکورہ بالا امور کے پیش نظر معطل رجسٹرار کے ذریعہ آئی بی ایل ہائی کورٹ، پٹنہ میں دائر CWJC No. 15501/2025، مورخہ 18.09.2025 کو صادر حکم میں یہ ذکر ہے کہ ڈاکٹر سنجیو کمار کی معطلی اور پیشگی تادیبی کارروائی محکمہ جاتی ضابطہ نامہ اور یونیورسٹی کے ایکٹ و قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں ہے۔ لہذا، معطل رجسٹرار ڈاکٹر سنجیو کمار کو معطلی و تمام تادیبی کارروائی سے بری کرتے ہوئے انہیں جلد از جلد چارج سوپنے کے سلسلے میں حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط


نول کشوریادو

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 24.02.2026

مکتوب نمبر: (1) 158/2026-538

معزز رکن، مورخہ 26.02.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔


24.02.2026
(منوج کمار)

ڈپٹی سکریٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

वि.प.अ.प्र.-32/2024- 572(1) /वि.प. दिनांक - 25.02.2026

[माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस प्रति को दिनांक - 26.02.2026 की बैठक में अपने
उपयोग के लिए लाने की कृपा करेंगे]

सत्र - 212वाँ

1. श्री वंशीधर ब्रजवासी, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :

यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य में व्याप्त सामाजिक और शैक्षणिक असमानता को समाप्त करने के लिए 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए समान शिक्षा और समान परवरिश की नीति लागू करे।'

शिक्षा विभाग

2. श्रीमती शशि यादव, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगी कि :

यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य में नए सर्वे के आधार पर एक नया आवास कानून बनाकर किसी भी गरीब को उजाड़ने या हटाने से पूर्व रहने योग्य स्थान पर उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करे।'

समाज कल्याण विभाग

3. श्री नवल किशोर यादव, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :

यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक- 25.05.2011 के पश्चात् नियुक्त एवं कार्यरत नियोजित शिक्षकों को भी राजकीयकृत विद्यालयों के विशिष्ट शिक्षकों की भांति वित्तीय सुविधा एवं अन्य सुविधा का लाभ प्राप्त हो।'

शिक्षा विभाग

4. श्री सर्वेश कुमार, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :

यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मॉडल स्कूल की स्थापना सहित अन्य अवसंरचना कार्यक्रम (बड़े स्कूल, अधिक शिक्षक) की स्वीकृति प्रदान करे।'

शिक्षा विभाग

5. प्रो०(डॉ०) वीरेन्द्र नारायण यादव, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :
यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य में ध्वनि प्रदूषण, वायु गुणवत्ता, पर्यावरण संकट की समस्या का समाधान करे।'

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

6. श्री सच्चिदानन्द राय, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :
यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के ग्राम सभाओं को उसके मूल स्वरूप में पुनः स्थापित करे।'

पंचायती राज विभाग

7. श्री अशोक कुमार, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :
यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'नवादा जिलान्तर्गत रोह प्रखंड का अनुमंडल कार्यालय रजौली से हटाकर नवादा सदर अनुमंडल कार्यालय में व्यवस्थित करे।'

ग्रामीण विकास विभाग

8. श्री नीरज कुमार, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :
यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'वज्रपात (आकाशीय बिजली) को 'प्राकृतिक आपदा' की सूची में शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

आपदा प्रबंधन विभाग

9. श्री लाल मोहन गुप्ता, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :
यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मुंगेर जिला के जमालपुर नगर पूर्वी क्षेत्र स्थित बालिका मध्य विद्यालय, बड़ी आशिकपुर, नगर वार्ड संख्या- 03 को +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करे।'

शिक्षा विभाग

10. डॉ० उर्मिला ठाकुर, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगी कि :
यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'कुम्हार (प्रजापति), नाई (हज्जाम), बढई, लोहार, ताँती-ततवाँ, कानू, मल्लाह (केवट), चन्द्रवंशी (कहार), गड़ेरिया जैसे अन्य जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

सामान्य प्रशासन विभाग

11. श्री जीवन कुमार, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :
यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों/ पुस्तकालयाध्यक्षों/ प्रधानाध्यापकों/ प्रधान शिक्षकों को गृह जिला या निकटतम जिला के अधीनस्थ विद्यालयों में ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करे।'

शिक्षा विभाग

12. श्री कुमार नागेन्द्र, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :
यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'गया जी से शेरघाटी, बांकेबाजार, इमामगंज, डुमरिया से चतरा तक एवं इस्लामपुर, खिजरसराय, गया जी रेल परियोजना को जोड़ने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

परिवहन विभाग

13. डॉ० सुनिल कुमार सिंह, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :
यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति, सुदृढ करने हेतु उनके कृषि उत्पाद गेहूँ पर अन्य राज्यों की तर्ज पर बोनस की व्यवस्था सुनिश्चित करे।'

कृषि विभाग

14. श्री अनिल कुमार, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :
यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बिहार में संचालित सभी निजी (प्राइवेट) हॉस्टलों को वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत जीएसटी एवं सेवा कर हेतु निबंधन अनिवार्य करे।'

वित्त विभाग

15. श्री सौरभ कुमार, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :
यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति मिलने में सत्यापन एवं अन्य समस्त बाधाओं को तुरंत दूर करते हुए छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान करे।'

शिक्षा विभाग

16. श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :

यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'भारत में समाजवादी आन्दोलन के अग्रणी नेता और 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी तथा लोकसभा के पूर्व सांसद माननीय डॉ० राममनोहर लोहिया के सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न के सम्मान से अलंकृत करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे।'

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

17. श्री दिलीप कुमार सिंह, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :

यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखंड उमगा स्थित पहाड़ी एवं मंदिर श्रृंखला के संरक्षण, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे।'

कला एवं संस्कृति विभाग / पर्यटन विभाग

18. श्री अशोक कुमार पान्डेय, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :

यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'भगवानपुर प्रखंडान्तर्गत विश्व प्रसिद्ध एवं अति प्राचीन मंदिर माँ मुण्डेश्वरी धाम प्रांगण में रोप-वे का निर्माण करावे।'

पर्यटन विभाग

19. श्रीमती रीना देवी, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगी कि :

यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को पेंशन की व्यवस्था लागू करे।'

पंचायती राज विभाग

20. श्री मो० सोहैब, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :

यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'पूरे भारत में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

21. डॉ० संजीव कुमार सिंह, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :

यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'सूबे के राज्यकर्मियों के साथ-साथ सभी कोटि के विद्यालयी एवं महाविद्यालयी शिक्षकों/ सहशैक्षिक कर्मियों को मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ रखने हेतु कैशलेस चिकित्सीय बीमा सुविधा प्रदान करे।'

स्वास्थ्य विभाग / शिक्षा विभाग

22. श्री महेश्वर सिंह, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :

यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'पूर्वी चम्पारण जिला के अरेराज अनुमंडल में बालिकाओं के पठन-पाठन की बेहतर व्यवस्था हेतु रुद्र महिला इंटर कॉलेज को महिला डिग्री कॉलेज के रूप में विकसित करे।'

उच्च शिक्षा विभाग / शिक्षा विभाग

23. श्री जनक राम, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :

यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के महान समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्व० रामसुन्दर दास की जयंती एवं पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह घोषित करे।'

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

24. श्री घनश्याम ठाकुर, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :

यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मधुबनी-बेनीपट्टी-पुपरी नई रेल लाईन निर्माण परियोजना को आगे बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित करे।'

परिवहन विभाग

25. डॉ० अजय कुमार सिंह, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :

यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'सहरसा स्थित बंद पड़े रविनन्दन मिश्र स्मारक विधिमहाविद्यालय में शीघ्रातिशीघ्र पठन-पाठन सुनिश्चित करे।'

उच्च शिक्षा विभाग / शिक्षा विभाग

26. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :

यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के सेवानिवृत्त कर्मियों को केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों की भांति चिकित्सा सुविधा प्रदान करे।'

वित्त विभाग

27. प्रो० संजय कुमार सिंह, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगे कि :


यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हता मापदंड के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नियुक्त अतिथि प्राध्यापकों की सेवा अन्य राज्यों की भांति 65 वर्ष तक के लिए स्थायी करे।'

उच्च शिक्षा विभाग / शिक्षा विभाग

28. डॉ० कुमुद वर्मा, स.वि.प. प्रस्ताव करेंगी कि :

यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'गया जी जिला के बोधगया में एम्स (AIIMS) की स्थापना करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे।'


स्वास्थ्य विभाग


25/02/26
(अखिलेश कुमार झा)
सचिव
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक:- वि.प.अ.प्र.- 32/2024- 572(1) / वि.प.

दिनांक : - 25.02.2026


प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, बिहार सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ सचिव, बिहार विधान सभा/ मुख्य सचिव, बिहार/ सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार एवं राज्य सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


25/02/26.
(अखिलेश कुमार झा)
सचिव
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक:- वि.प.अ.प्र.- 32/2024- 572(1) / वि.प.

दिनांक:- 25.02.2026

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ आपदा प्रबंधन विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग/ वित्त विभाग/ परिवहन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग/ समाज कल्याण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ शिक्षा विभाग/ उच्च शिक्षा विभाग/ कृषि विभाग/ पर्यटन विभाग/ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार के आप्त सचिव से अनुरोध है कि माननीय मंत्री को वस्तुस्थिति से अवगत कराने की कृपा की जाय।


25.02.2026
(मनोज कुमार)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्
आमुख राज



बिहार विधान परिषद्

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न आगामी शुक्रवार , तिथि 08 फाल्गुन, 1947(श.) को बिहार विधान परिषद् के कार्यक्रम पर अंकित रहेंगे।

27 फरवरी, 2026 ई.

क्रम संख्या	प्रश्नों की नेवा संख्या	प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4	5
282.	1/212/1393	श्री नवल किशोर यादव स.वि.पं.	अंतर जिला स्थानांतरण	शिक्षा
283.	1/212/170	श्री अशोक कुमार स.वि.प.	एमडीएम प्रभारी नियुक्त	तदैव
284.	1/212/234	डॉ० अजय कुमार सिंह स.वि.प.	भवन का निर्माण	तदैव
285.	1/212/254	प्रो० संजय कुमार सिंह स.वि.प.	अंतर राशि का भुगतान	तदैव
286.	1/212/483	डा० मदन मोहन झा स.वि.प.	वर्ग कक्ष का निर्माण	तदैव
287.	1/212/600	श्री वंशीधर ब्रजवासी स.वि.प.	विरमन तिथि से वित्तीय लाभ	तदैव

288.	1/212/696	डा० उर्मिला ठाकुर स.वि.प.	शिक्षण-प्रशिक्षण का मॉनिटरिंग	शिक्षा
289.	1/212/717	डा० संजीव कुमार सिंह स.वि.प.	अवकाश तालिका लागू करना	तदैव
290.	1/212/738	श्री लाल मोहन गुप्ता स.वि.प.	विद्यालय का भवन निर्माण	तदैव
291.	1/212/905	श्री नीरज कुमार स.वि.प.	नियुक्तियों का विस्तृत विवरण	तदैव
292.	1/212/1110	श्री भीसम साहनी स.वि.प.	मैदान का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण	खेल
293.	1/212/1179	श्री जीवन कुमार स.वि.प.	स्काउट और गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन	शिक्षा
294.	1/212/1306	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी स.वि.प.	स्नातक प्रोन्नति का लाभ	तदैव
295.	1/212/1334	प्रो० (डॉ०) राजवर्धन आजाद स.वि.प.	ठोस कदम	उच्च शिक्षा
296.	1/212/1348	श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह स.वि.प.	दूर शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों को सुविधा	तदैव
297.	1/212/1351	श्री आफाक अहमद स.वि.प.	साइकिल एवं पोशाक योजना का लाभ	तदैव
298.	1/212/1376	श्री कुमार नागेन्द्र स.वि.प.	अतिथि व्याख्याताओं के सेवा समायोजन	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा
299.	1/212/1377	श्री सौरभ कुमार स.वि.प.	जूनियर स्तर के खिलाड़ियों को नौकरी	खेल

300.	1/212/172	श्री अशोक कुमार स.वि.प.	शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी	शिक्षा
301.	1/212/257	प्रो० संजय कुमार सिंह स.वि.प.	महाविद्यालय परिसर की चाहरदिवारी	तदैव
302.	1/212/484	डा० मदन मोहन झा स.वि.प.	शिफ्ट में विद्यालय संचालन	तदैव
303.	1/212/1104	श्री वंशीधर ब्रजवासी स.वि.प.	बकाया वेतन भुगतान	तदैव
304.	1/212/1195	श्री जीवन कुमार स.वि.प.	ग्रांट की राशि की उपलब्धता	तदैव
305.	1/212/1344	श्री भीसम साहनी स.वि.प.	केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव	तदैव
306.	1/212/1401	श्री नवल किशोर यादव स.वि.प.	पुनः मुल्यांकन	तदैव

(Handwritten Signature)
25/2/26

(अखिलेश कुमार झा)

सचिव

बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक:-वि.प.प्र.- 22/2025/ 134 (5)

वि.प.,दिनांक- 25.2.2026

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार / माननीय उपमुख्यमंत्री द्वय, बिहार / माननीय मंत्रीगण / राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना / लोकायुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना तथा सचिवालय के सभी विभागों एवं विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten Signature)
25.2.2026

(शंकर कुमार)

निदेशक

बिहार विधान परिषद्

श्रीरज प्रकाश



बिहार विधान परिषद्

तारांकित प्रश्नों की सूची

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न आगामी शुक्रवार, तिथि 08 फाल्गुन, 1947(श.) को बिहार विधान परिषद् के कार्यक्रम पर अंकित रहेंगे।

27 फरवरी, 2026 ई.

क्रम संख्या	प्रश्नों की नेवा संख्या	प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4	5
449.	1/212/7	डा० संजीव कुमार सिंह एवं श्री नवल किशोर यादव स.वि.प.	विसंगतियों का निराकरण	शिक्षा
450.	1/212/85	श्री महेश्वर सिंह स.वि.प.	पोषण वाटिका का निर्माण	तदैव
451.	1/212/903	श्री नवल किशोर यादव स.वि.प.	उच्चतर वेतनमान	तदैव

452.	1/212/190	श्री अशोक कुमार स.वि.प.	शिक्षकों को पदस्थापित एवं कमरा का निर्माण	शिक्षा
453.	1/212/245	डा० मदन मोहन झा स.वि.प.	शैक्षणिक व्यवस्था का संचालन	तदैव
454.	1/212/250	प्रो० संजय कुमार सिंह स.वि.प.	आदेश निर्गत कबतक	तदैव
455.	1/212/742	श्री वंशीधर ब्रजवासी स.वि.प.	विश्वविद्यालय की स्थापना	उच्च शिक्षा
456.	1/212/978	श्री जीवन कुमार स.वि.प.	एजेंसी पर कार्रवाई	शिक्षा
457.	1/212/982	प्रो०(डा०) वीरेन्द्र नारायण यादव स.वि.प.	पेंशन व ग्रेड पे निर्धारण	तदैव
458.	1/212/998	डा० उर्मिला ठाकुर स.वि.प.	वेतन भुगतान	तदैव
459.	1/212/1118	श्री नीरज कुमार स.वि.प.	प्रतिभागी छात्र- छात्राओं को प्रोत्साहित	तदैव
460.	1/212/1256	श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव स.वि.प.	विद्यालय भूमि को अतिक्रमण मुक्त	तदैव
461.	1/212/1333	प्रो० (डॉ०) राजवर्धन आजाद स.वि.प.	भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना	उच्च शिक्षा
462.	1/212/1339	श्री राजीव कुमार स.वि.प.	अतिरिक्त कमरा निर्माण	शिक्षा
463.	1/212/1367	श्री मो० सोहैब स.वि.प.	शिक्षकों की वेतन	तदैव

464.	1/212/1374	श्री जनक राम स.वि.प.	दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई	शिक्षा
465.	1/212/93	श्री महेश्वर सिंह एवं श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबु स.वि.प.	रिक्त पदों पर नियुक्ति	उच्च शिक्षा
466.	1/212/242	श्री अशोक कुमार स.वि.प.	भवन निर्माण	शिक्षा
467.	1/212/247	डा० मदन मोहन झा स.वि.प.	अध्यक्ष/निदेशक की नियुक्ति	तदैव
468.	1/212/264	प्रो० संजय कुमार सिंह, श्री सर्वेश कुमार एवं डा० मदन मोहन झा स.वि.प.	आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था	तदैव
469.	1/212/519	श्री नवल किशोर यादव स.वि.प.	स्वतंत्र रूप से लॉग-इन आईडी	तदैव
470.	1/212/751	श्री वंशीधर ब्रजवासी स.वि.प.	डिग्री कॉलेज की स्थापना	उच्च शिक्षा
471.	1/212/797	श्री जीवन कुमार स.वि.प.	मूल विद्यालय में पदस्थापित	शिक्षा
472.	1/212/1035	प्रो०(डा०) वीरेन्द्र नारायण यादव स.वि.प.	सातवें वेतन का लाभ	तदैव
473.	1/212/1129	डा० संजीव कुमार सिंह स.वि.प.	स्टेडियम का निर्माण	खेल
474.	1/212/1153	श्री नीरज कुमार स.वि.प.	न्यूनतम अर्हता 33 प्रतिशत	शिक्षा
475.	1/212/1237	डा० उर्मिला ठाकुर स.वि.प.	स्थायी संबद्धता	उच्च शिक्षा

476.	1/212/1264	श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव स.वि.प.	संग्रहालय भवन की मरम्मती	कला एवं संस्कृति
477.	1/212/1340	श्री राजीव कुमार स.वि.प.	खेल मैदान को सुदृढ एवं स्टेडियम निर्माण	खेल

ML
25/2/26

(अखिलेश कुमार झा)
सचिव
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक:-वि.प.प्र.- 22/2025/ 135 (5)

वि.प.,दिनांक- 25.2.2026

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार / माननीय उपमुख्यमंत्री द्वय, बिहार / माननीय मंत्रीगण / राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना / लोकायुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना तथा सचिवालय के सभी विभागों एवं विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

शंकर कुमार
25.2.2026

(शंकर कुमार)
निदेशक

बिहार विधान परिषद्
गीरज प्रकाश